•			
मीममान	<u>ਜਜ਼</u> ਾ/	\sim el	No
ALCALCA.	ण अर/	COL	INU

मोबाइल नं./Mobile No.:

दिनांक

दिनांक को वर्ष 20 के लिए अचल संपत्ति का विवरण/ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR 20 as on													
1.	. अधिकारी/कर्मचारी का नाम (पूरा नाम):					3.	वर्तमान पद:	5.	वर्तमान अनुभागः				
	Name of officer/official (in full):						Present post held:		Present Section	Present Section:			
2.	सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है:					4.	वर्तमान वेतन:	6.	यूनिक आई.डी.नं./जन्म तिथि:				
	Service to which the officer belongs:						Present pay:		Unique ID No./DOB:				
	जिला. उप-मंडल, ताल्लका संपत्ति का नाम एवं विवर्ण/ • वर्तमान यदि संपत्ति अपने स्वयं के न						संपति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई,		पर संपत्ति से वह संख्या और तारीख जिसके टिप्पणी/कोई				
जिला, उप-मंडल, ताल्लुका और गांव का नाम जहां Na			Name and details of property		पर नहीं है तो बताएं कि किसके		त्री वर्ष: जाजत का गई? क्या खरादा गई, ली गई'', बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा वि	-		अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने की	अन्य जानकारी/		
संपत्ति स्थित है/		आवासीय एवं	भूमि/	मूल्य/ * Present			स्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली		अनुमति प्राप्त की गई थी/	Remarks/			
Name of District,		अन्य भवन/	Lands	value	कर्मचारी का संबंध क्या है?/		उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई/	income	No. & date vide which	Any other			
Sub-Division, Taluk		Housing and			If not in own name state		How acquired whether by purchase,	from the	permission to acquire the	information			
and Village in which		other buildings			in whose name held an		mortgage, inheritance, gift, or otherwis	h property	property was obtained				
property is situated					his/her relationship with		date of acquisition and name with de	of					
				the Government servant		person/persons from whom acqui	person/persons from whom acquired						
1		2	3	4	5		6		7	8	9		
दिनां	दिनांक/Date: कृपया प्रशासन अनुभाग के उपयोग के लिए/ For use of Admn. Section only												

को वर्ष 20 के लिए अचल संपत्ति का विवरण/ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR 20

िटपणी: सेवा में पहली नियुक्ति पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1955 [अब सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का नियम 18(1)] के नियम 15(3) के अंतर्गत श्रेणी ।, ॥ और ॥ [समूह 'ए', 'बी' और 'सी'] सेवाओं के प्रत्येक सदस्य द्वारा घोषणा पत्र भरना और प्रस्तुत करना अपेक्षित है और तत्पश्चात प्रत्येक बारह माह के अंतराल पर, उसके स्वामित्व वाली, अर्जित या विरासत में मिली या उसके द्वारा अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर ली गई या गिरवी रखी गई सभी अचल संपत्ति का विवरण देना अपेक्षित है।

स.ले.प.अ./A.A.O

हस्ताक्षर/Signature

एआईपीआर रजिस्टर में पष्ठ संख्या ; क्रमांक पर दर्ज किया गया;

Entered in the AIPR register at Page_____; Sr. No_____

Note - The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I,II & III [Group 'A' , 'B'& 'C"] services under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1955 [now Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964], on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

^{*} जहां मुल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मुल्य उल्लिखित किया जाए।/

^{*} In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

^{**} इसमें अल्पकालीन पटटे पर ली गई संपत्ति भी शामिल है।/ Includes short-term lease also.